सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 298 राँची, गुरुवार, 4 जून, 2026 (ई०)

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

26 नवम्बर, 2021

ज्ञापांकः-07/मु.रो.स.यो.सं.-01/2021-2901--

विषयः- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन में संशोधन, अनुदान राशि की अधिसीमा, भुगतान की प्रक्रिया एवं चिकित्सा सहायता योजना का नाम परिवर्तित करते हुए 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना' करने के संबंध में।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंखयक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखंड द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए चिकित्सा अनुदान हेतु चिकित्सा सहायता योजना संचालित है। वर्तमान में आदेश संख्या-**3390,** दिनांक-**16.11.2016** के अनुरूप गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों अथवा

72000/- रुपए वार्षिक आय (समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आय) वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा आकस्मिक रूप में **1000/-** रु० (एक हजार रुपया) तक का चिकित्सा अनुदान (जिसका विपत्र बाद में लाभूक से प्राप्त किया जाता है), विपत्र के साथ **3000/-** रु० तक का चिकित्सा अनुदान (तीन हजार रुपया) तथा **3000/- (**तीन हजार रुपया) से अधिक **10000/-** रु० (दस हजार रुपया) तक के चिकित्सा अनुदान की राशि संबंधित उपायुक्त की स्वीकृति के उपरांत योग्य लाभूक को भुगतान किया जाता है। योजना अंतर्गत चिकित्सा अनुदान हेतु **10000/-** रु० से अधिक राशि के शिथिलीकरण की शक्ति राज्य सरकार में निहित है। योजना अंतर्गत चिकित्सा अनुदान के भुगतान हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक/असैनिक सहायक शल्य चिकित्सक के अतिरिक्त सरकारी चिकित्सक यथा होमियोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद के द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य होता है ।

विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने हेतु एवं ज्यादा से ज्यादा लाभूकों को चिकित्सा अनुदान का लाभ देने हेतु योजना के क्रियान्वयन एवं स्वरूप में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

वर्तमान स्थिति में जब वैश्विक कोविड महामारी की वजह से ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं एवं इस संक्रमण की वजह से लोगों की आजीविका में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। जिसके फलस्वरूप वर्तमान में संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन में संशोधन की आवश्यकता है ।

2. **योजना का उद्देश्यः-** प्रायः यह देखा गया है कि बीमारी की वजह से लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ-साथ उनके आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए पीड़ित व्यक्ति के आजीविका की क्षति होती है, नतीजतन् पीड़ित व्यक्ति को अपने बीमारी की अवधि / इलाज के बाद में भी अपने एवं अपने परिवार की दैनिक जरूरतों की पूर्ति करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

उत्तम स्वास्थ्य एवं पौष्टिक आहार में एक अन्योनाश्रय संबंध है। बीमारी की अवधि एवं इलाज के उपरांत पौष्टिक आहार की अनिवार्यता और भी अधिक बढ़ जाती है, जो किसी भी रोगी को जल्द स्वस्थ होने में मददगार साबित होता है। आमतौर पर देखा गया है की निर्धन/हसिए पर रह रहे परिवार के व्यक्ति को बीमारी की अवधि / इलाज के उपरांत पौष्टिक आहार की पूर्ति करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

यह समस्या और भी जटिल हो जाती है, जब किसी व्यक्ति के बीमारी की इलाज की अवधि अधिक हो अथवा किसी व्यक्ति को दुर्घटना या स्वास्थ्य से जुड़ी सर्जरी करवाना पड़े, जिसके वजह से उक्त व्यक्ति को लंबे समय तक या तो अस्पताल में रहना पड़े या अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी घर में स्वास्थ्य लाभ लेना पड़े अथवा कोई व्यक्ति कोविड-19

जैसी वैश्विक संक्रमण से ग्रसित हो, जिसके फलस्वरूप संक्रमित व्यक्ति को या तो घर या सरकारी संस्थान में Quarantine/isolation की स्थिति में रहना पड़े या अस्पताल में अपना इलाज करवाना पड़े अथवा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की वजह से पीड़ित व्यक्ति को इलाज हेतु बार-बार अस्पताल में जाना पड़े ।

इन जटिलताओं को दूर करने हेतु योजना का उद्देश्य रोगी को अनुदान का लाभ देना है, ताकि उक्त रोगी अनुदान राशि से ना केवल अपने परिवार की दैनिक जरूरतों की पूर्ति कर सके, अपितु रोगी अपने लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर सके।

उपरोक्त के आलोक में योजना अंतर्गत वयस्क (18 वर्ष से अधिक) एवं अवयस्क (18 वर्ष से कम) दोनों के लिए अनुदान दिया जाना है जो निम्न रूप से भुगतान किया जाएगा।

I. यदि रोगी वयस्क हो तो उक्त रोगी को उनके बीमारी की वजह से उनके आजीविका में होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु तथा बीमारी की अवधि / इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा ।

II. यदि रोगी अवयस्क है तो इस स्थिति में रोगी को बीमारी की अवधि / इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा ।

3. योजना अंतर्गत लाभूक की अर्हत्ता एवं आवेदन करने की प्रक्रियाः-

I. आवेदक राष्ट्रीय खाद्यान सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत झारखंड राज्य में निवासरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार (Priority Household) राशन कार्डधारी / अंत्योदय राशन कार्डधारी / हरा कार्डधारी हो। केवल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार (Priority Household) राशन कार्डधारी / अंत्योदय राशन कार्डधारी/हरा कार्डधारी परिवार के सदस्य ही योजना अंतर्गत अनुदान राशि का लाभ प्राप्त करने हेतु योग्य होंगे। आवेदन के साथ आवेदक को राशन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

II. योजना अंतर्गत अनुदान राशि का लाभ लेने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदक को ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपने आवेदन के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा।

III. आवेदक को अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु अपने बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा।

IV. आवेदक को अपने आवेदन के साथ आधार कार्ड की प्रति एवं बैंक खाता नंबर (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

v. आवेदक अपना आवेदन प्रखण्ड कार्यालय अथवा जिला कल्याण पदाधिकारी अथवा परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए० के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

4. योजना अंतर्गत अनुदान राशि की अधिसीमा का स्वरूपः- योजना अंतर्गत रोगी को उनके बीमारी की वजह से उनके आजीविका में होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु अथवा बीमारी की अवधि / इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु अथवा दोनों उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा जिसकी अधिसीमा निम्नवत होगी:-

i. यदि रोगी वयस्क हो तो उक्त रोगी को उनके बीमारी की वजह से उनके आजीविका में होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु तथा बीमारी की अवधि / इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु न्यूनतम 3000/- रु० से अधिकतम 10000/- रु० की अनुदान राशि भुगतान किया जाएगा।

ii. यदि रोगी अवयस्क है तो इस स्थिति में रोगी को बीमारी की अवधि/इलाज के बाद में पौष्टिक आहार की पूर्ति हेतु न्यूनतम 1500/- रु० से अधिकतम 5000/- रु० की अनुदान राशि भुगतान किया जाएगा।

5. योजना अंतर्गत अनुदान की राशि निम्नलिखित बीमारी हेतु देय होगाः-

i. लाभूक किसी भी तरह की बीमारी अथवा किसी शल्य चिकित्सा (surgery) के कारण, गर्भावस्था एवं प्रसव को छोड़कर, पीड़ित हो,

ii. कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति,

iii. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति ।

5.1 योजना अंतर्गत अनुदान राशि निम्न रूप से देय होगीः-

5.1.1 यदि लाभूक वयस्क हो, तो इस स्थिति में योजना अंतर्गत अनुदान राशि निम्न रूप से देय होगीः-

क्रम संख्या	बीमारी	मापदंड	अनुदान राशि का प्रावधान	अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र
1	2	3	4	5
1	किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा (surgery)	बीमारी/अस्पताल में इलाज की अवधि **7** दिनों से कम हो	3000/-	बीमारी से संबंधित मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सिविल सर्जन / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र //प्रतिवेदन / अभिप्रमाणित दस्तावेज
		बीमारी/अस्पताल में इलाज की अवधि **7** दिनों से अधिक हो	5000/-	
2	कोविड-19	यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो	5000/-	
		यदि पीड़ित का इलाज	10000/-	

क्रम संख्या	बीमारी	मापदंड	अनुदान राशि का प्रावधान	अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र
1	2	3	4	5
		अस्पताल में हुआ हो		
3	कैंसर		25000/-	

5.1.2 लाभूक यदि अवयस्क हो तो इस स्थिति में योजना अंतर्गत अनुदान राशि निम्न रूप से देय होगी:-

क्रम संख्या	बीमारी	मापदंड	अनुदान राशि का प्रावधान	अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र
1	2	3	4	5
1	किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा (surgery)	बीमारी/अस्पताल में इलाज की अवधि **7** दिनों से कम हो	1500/-	बीमारी से संबंधित मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह सिविल सर्जन/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र //प्रतिवेदन/ अभिप्रमाणित दस्तावेज
		बीमारी/अस्पताल में इलाज की अवधि **7** दिनों से अधिक हो	2500/-	
2	कोविड-19	यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो	2500/-	
		यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो	5000/-	
3	dlj		15000/-	

6. योजना अंतर्गत अनुदान राशि भुगतान करने की प्रक्रियाः-

I. योजना अंतर्गत योग्य लाभूक को अनुदान की राशि की स्वीकृति संबंधित उपायुक्त द्वारा दिया जाएगा।

II. योग्य लाभूक को अनुदान की राशि PFMS के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

III. अनुदान की राशि के भुगतान की प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा की उक्त लाभूक को किसी अन्य सरकारी श्रोत से अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

IV. गर्भावस्था एवं प्रसव हेतु लाभूक को योजना अंतर्गत अनुदान की राशि देय नहीं होगी।

V. यदि किसी आवदेक द्वारा अनुदान प्राप्त करने हेतु उनके आवेदन में दी गई सूचना, जानकारी, तथ्य आदि गलत पाई जाती है, तो इस स्थिति में आवदेक के विरुद्ध आवश्यक सरकारी कार्रवाई की जाएगी।

7. इस योजना का नाम '**चिकित्सा सहायता योजना**' से परिवर्तित करते हुए '**मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना**' किया जाता है।

8. योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले में निम्न प्रकार एक समिति का गठन किया जाएगा:-

i.	उपायुक्त	- अध्यक्ष
ii.	परियोजना निदेशक, **ITDA** / जिला कल्याण पदाधिकारी	- सदस्य सचिव
iii.	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-सिविल सर्जन	- सदस्य
iv.	विधायक प्रतिनिधि	- सदस्य

उक्त समिति की पाक्षिक बैठक आयोजित कराई जाएगी।

9. विभाग द्वारा पूर्व में चिकित्सा सहायता योजना अंतर्गत निर्गत आदेश संख्या-3390 दिनांक-16.11.2016 विलोपित किया जाता है।

10. चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त योजना अंतर्गत कुल 6.00 करोड़ रुपये (छः करोड़ रूपये) का बजटीय उपबंध है। राशि का विकलन:-

अनुसूचित जनजाति के लिए मुख्य शीर्ष-2225-उप मुख्य शीर्ष-02-लघु शीर्ष-277- शिक्षा-उपशीर्ष-46- चिकित्सा सहायता- विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-इकाई-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)-विपत्र कोड-51S222502277460679 तथा मुख्य शीर्ष-2225-उप मुख्य शीर्ष-02-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-46- चिकित्सा सहायता- विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान-इकाई-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)-विपत्र कोड-51S222502796460679,

अनुसूचित जाति के लिए मुख्य शीर्ष-2225-उप मुख्य शीर्ष-01-लघु शीर्ष-789- उपशीर्ष-46- चिकित्सा सहायता- विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-इकाई-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)-विपत्र कोड-51S222501789460679 एवं

पिछड़ी जाति के लिए मुख्य शीर्ष-2225-उप मुख्य शीर्ष-03-लघु शीर्ष-277- शिक्षा-उपशीर्ष-19- चिकित्सा सहायता- विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-इकाई-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)-विपत्र कोड-51S222503277190679 तथा मुख्य शीर्ष-2225-उप मुख्य शीर्ष-03-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-19- चिकित्सा सहायता- विस्तृत शीर्ष-06- अनुदान-इकाई-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)-विपत्र कोड-51S222503796190679 के अन्तर्गत होगा।

11. योजना पर दिनांक-12.11.2021 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-05 के रूप में सशर्त स्वीकृति प्राप्त है।

(**कमल किशोर सोन**),
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 298 - 50